कार्यालय जिलाधिकारी (संग्रह अनुभाग) बुलन्दशहर।
अल्पकालिक निविदा–सूचना व शर्ते

सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0शासन पत्र संख्याः 1092/1–10–2014–12(34)/03 टी0सी–1, राजस्व अनुभाग–10 दिनांक 04 नवम्बर 2015 के कम में वर्ष 2015–16 में ओलावृष्टि के पूरक यथा–अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहॅुचाने हेतु जनपद स्तर पर अनुमानित 10,000 कम्बलों की आपूर्ति (जो घट–बढ सकती है) हेतु अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित की जाती है। कय किये जाने वाले कम्बलों का मानक व शर्ते निम्न प्रकार होगी।

1– कय किये जाने वाले कम्बलों की पूर्व निर्धारित दर रू0 500 से अधिक न हो तथा कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौडाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नही होना चाहिए।

2– आपूर्तित संस्था को इस आशय का टैग लगाना होंगा, जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौडाई एवं वजन का विवरण अंकित होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिकी योग्य नही है।

3– आपूर्ति किये जाने वाले सभी कम्बलों पर 50 से0मी0 X 30 से0मी0 के स्टेसिंल से संबंधित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौडाई एवं वजन का विवरण तथा कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिकी योग्य नही है, इस आशय का स्टेसिंल काटकर पक्के पेंट से प्रिन्टिड किया जाना अनिवार्य होगा।

4– उक्त इंगित गुणवत्ता का कम्बल जनपद मुख्यालय पर पहॅुचाने का मार्ग व्यय तथा मुख्यालय से जनपद की सभी सातों तहसीलों के मुख्यालयों तक पहॅुचाने का मार्ग व्यय सम्बन्धित संस्था द्वारा ही वहन किया जायेगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा नही किया जायेगा।

5– आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये कम्बल का अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा एक–एक मानक सैम्पुल मुख्यालय पर रखा जायेगा, जिसका वितरण कदापि नही किया जायेगा ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकें। आपूर्तित किये जाने वाले कम्बलों में से एक कम्बल शासन को भी सील बन्दकर प्रेषित किया जायेगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपूर्तित संस्था का होगा।

6– आपूर्तिकर्ता संस्था निर्धारित समय यानि निविदा स्वीकृति के दिनांक से तीन दिवस के अन्दर कम्बलों की आपूर्ति करनी होगी। यदि संस्था आपूर्ति पूर्ण नही कर पाती है तो उसका आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। मानक के अनुसार कम्बलों की आपूर्ति करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा।

7– उपरोक्त कय किये जाने वाले कम्बलों की संख्या कम/अधिक करने का अधिकार समिति के अध्यक्ष व जिलाधिकारी में निहित होगा।

8– निविदा फार्म एवं शर्ते संग्रह कार्यालय, कलेक्टैट कक्ष–5 में दिनांक 30–11–2015 को सायं 2.00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश के दिवसों को छोडकर) प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप पर निविदायें संग्रह अनुभाग कलेक्टेट, बुलन्दशहर के कमरा नं0 5 में रखी पेटिका में दिनांक 30–11–2015 तक प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक डाली जा सकेगी। प्राप्त निविदायें दिनांक 30–11–2015 को दोपहर 3.00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बुलन्दशहर के कार्यालय कक्ष नं01 में समिति के समक्ष खोली जायेगी। सभी निविदादाताओं को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसके लिए पृथक से कोई सूचना नही दी जायेगी।

9– निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरी से अथवा सी0आर0ए0 कार्यालय कमरा नं0 5 कलेक्टैट बुलन्दशहर से ली जा सकती है।

10– आपूर्ति किये गये कम्बल की गुणवत्ता/मानक में किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो संस्था को भुगतान नही किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा। इसलिए

संस्था का उत्तरदायित्व होगा कि कम्बल शासन द्वारा निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च गुणवत्ता का ही आपूर्ति की जायें।

11– निविदा में किसी प्रकार की कटिंग व ओवर राइटिंग मान्य नही होगी।

12– लिफाफे के बाहर मोटे अक्षरों में "कम्बल हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए।

13– क्रय समिति व जिलाधिकारी को बिना किसी कारण बतायें किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

14– ऊपर प्रदर्शित कम्बलों की संख्या अनुमानित है विभागीय आवश्यकता तथा बजट की उपलब्धता के आधार के अनुसार संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

15– किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी बुलन्दशहर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

16– कम्बल आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 3/2015/618/18–2–2015–12(एस0पी0)/2010 दिनांक 12 अगस्त 2015 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

17– कम्बलों को क्रय करने के लिए अंतिम निर्णय अध्यक्ष कम्बल क्रय समिति व जिलाधिकारी का मान्य होगा।

18– कम्बलों का भुगतान मानक के अनुरूप व पूर्ण मात्रा में कम्बलों की तहसील स्तर पर आपूर्ति सुनिश्चित होने के पश्चात् किया जायेगा। फर्म को सभी आवश्यक टैक्स देगे होगे।

19– उपरोक्त सूचना जनपद की वेवसाइट www.bulandshahr.nic.in पर उपलब्ध है।

20– संस्थाओं को कम्बल का सैम्पुल जिस पर फ़र्म का पूर्ण विवरण, मानक, आदि का पूर्ण विवरण हो दैवीय आपदा लिपिक, संग्रह कार्यालय, कलेक्टेट, बुलन्दशहर, कमरा नं0 5 में प्राप्त कराना होगा, जिसको निविदा खोले जाने के समय रखा जायेगा।

21– निविदा में कम्बल का मूल्य वैट सहित अंकित किया जायेगा।

22– क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता (शासनादेश में अंकित मानक का) की टैस्टिंग रिपोर्ट मान्य संस्था से कराकर निविदा प्रपत्र के साथ/निविदा खुलने के समय प्रस्तुत करनी होगी।

(आर0के0सिंह)
अपर जिलाधिकारी वि0/रा0
बुलन्दशहर।

<u>कार्यालय जिलाधिकारी (संग्रह अनुभाग) बुलन्दशहर।</u>

पत्रांकः 3839 /मु0रा0ले0–दैवीआपदा दिनांक 23 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपिः–
1–जिलाधिकारी महोदया को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त निविदा सूचना को जनपद की वेवसाइट पर डाउनलोड करने का कष्ट करें।
3–नाजिर सदर को सूचना बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4–समस्त तहसीलदार, जनपद बुलन्दशहर को तहसील नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अपर जिलाधिकारी वि0/रा0
बुलन्दशहर।